

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बारह'

प्रश्न सं. [क. 2871]

परिशिष्ट [22/3/2018]

नं. 5-2871/2018

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2871

द्वारा - श्री मोती कश्यप

परिशिष्ट "अ"

क्र.	प्रकरण क्र.	धारक	कुल राशि	बांडस राशि	नगद राशि	प्राप्त दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	698/76-77	डा. ए.के. बराट पिता स्व. एस. सी. बराट	20083.00	15000.00	5083.00	13.07.95
2.	110/79-80	रामदास	10415.00	7800.00	2615.00	30.05.96
3.	31/78-79	मैकू वल्द बुद्ध	2937.00	2200.00	737.00	30.05.96
4.	717/76-77	शांत कुमार	1122.00	800.00	322.00	30.12.96
5.	715/76-77	जितेन्द्र कुमार	842.00	600.00	242.00	30.12.96
6.	716/76-77	सुशील कुमार	8072.00	6000.00	2072.00	30.12.96
7.	56/78-79	विनोद कुमार	31962.00	23900.00	8062.00	चैक लेने से इंकार
8.	25/79-80	हीराबाई/स्व. सत्यनारायण द्वारा फूलचंद मिश्रा	8540.00	6400.00	2135.00	28.09.01
9.	1038/76-77	हरिकृष्ण त्रिपाठी	8072.00	6000.00	2072.00	चैक लेने से इंकार
10.	216/79-80	धनीराम/जोरावल	38319.00	28700.00	9619.00	21.03.03
11.	156/82-83	गरीबदास/ठाकुर प्रसाद द्वारा प्रमिला केवट	56775.00	42600.00	14175.00	08.07.03
12.	563/79-80	रामप्यारी बेवा ठाकुर प्रसाद द्वारा प्रमिला ठाकुर	18936.00	14200.00	4736.00	04.06.03
13.	16/78-79	जमुना बाई/स्व. बाबूलाल	32975.00	24700.00	8275.00	27.07.08

नोट :- नगर भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत 1133 व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। जिसमें से 11 व्यक्तियों द्वारा भूमि का मुआवजा प्राप्त किया गया है। शेष भूमि स्वामियों द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा लेने से इंकार किये जाने के कारण भुगतान नहीं हुये है।

अपर कलेक्टर  
जबलपुर